न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर
उपस्थितः धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय (एच 0 जे0 एस 0)
(JO CODE UP2002)
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1165 सन् 2026
CNR No. UPGH010027282026

संजय शर्मा उम्र 40 पुत्र श्री रविन्द्र नाथ शर्मा निवासी ग्राम सवितापुर, थाना भाँवरकोल, जिला गाजीपुर। **------आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

1- उत्तर प्रदेश राज्य जरिये जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), गाजीपुर।
2- अरबिन्द राय पुत्र मणिलाल राय निवासी ग्राम सवितापुर, थाना भाँवरकोल, जिला गाजीपुर।
-------विपक्षीगण

मु०अ०सं०-122/2026
धारा-109(1),115(2),351(3),352,3(5) बी०एन०एस०
थाना-भाँवरकोल, **जनपद** गाजीपुर।
अभियुक्त की ओर सेः श्री अखिलेश राय, एडवोकेट
राज्य की ओर सेः श्री कृपाशंकर राय, जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक)

12-06-2026 **आदेश**

1- प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त संजय शर्मा की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-122/2026, धारा-109(1),115(2),351(3),352,3(5) भारतीय न्याय संहिता, थाना भाँवरकोल, जिला गाजीपुर के मामले में जमानत पर अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है।

2- अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अरबिन्द राय द्वारा सम्बन्धित थाना पर इस आशय का अभियोग पंजीकृत कराया गया है कि उसके ही गाँव के अनुराग राय पुत्र संजय शर्मा, संजय शर्मा पुत्र स्व० रविन्द्रनाथ शर्मा से पुरानी रंजिश व भूमि विवाद को लेकर रंजिश चल रही है जिसके सम्बन्ध में पूर्व मे 1-मु0 अ 0 सं0 204/25 धारा 324(2), 351(3), 352. 2-मु0 अ 0 सं 216/25 धारा 115(2), 117(2), 191(2), 3-मु0 अ 0 सं0 226/25 धारा 324(4), 351 (3), 352. 4-मु0 अ 0 सं0 172/25 धारा 191(2), 351 (3), 352 पंजीकृत है। दिनांक 28-05-2026 को समय लगभग 11.00 बजे अनुराग राय अपने हाथ में कट्टा लेकर अपने पिता संजय शर्मा के साथ एक राय व गोल बन्द होकर घर के बगल सवितापुर मे ही गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए उन लोगो को लक्ष्य लेकर फायर कर दिया, परन्तु फायर नही हुआ। कट्टे मे आयी तकनीकी खराबी को देखने के लिए जैसे ही तोड़ा तो उन लोगो द्वारा जान बचाने के क्रम मे घेर छेक कर पकडने का प्रयास किया गया तो कट्टे की बट से प्रार्थी के सिर पर हमला कर दिया जिससे प्रार्थी के सिर मे गंभीर चोटे आयी। उन लोगो द्वारा जान की परवाह किये बगैर अनुराग राय को पटक कर कट्टा छीन लिया गया। पुनः अनुराग दौड कर कट्टा लेने का प्रयास किया, परंतु प्रार्थी के साथ प्रार्थी के भाई आशुतोष राय व गाँव के ही अजीत राय व विजय शंकर राय तथा अन्य लोग भी आ गये जिससे अनुराग कट्टा छीनने में सफल नहीं हुआ। उपर्युक्त छीना झपटी में कारतूस कहीं गिर गया जो ढूढ़ने पर नहीं मिला। घटना की सूचना डायल 112 पुलिस को दिया और पुलिस वालों के निर्देश पर अनुराग राय, संजय राय को लेकर थाने पर आया है। कट्टा भी प्रार्थी के पास है। कट्टा और अभियुक्तगण व घटना की विडियो पेन ड्राईव में लेकर अपनी सुपुर्दगी में लेकर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। उक्त तहरीर के

आधार पर अभियुक्त अनुराग राय व संजय कुमार शर्मा के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–122/2026, धारा–109(1), 115(2), 351(3), 352, 3(5) भारतीय न्याय संहिता व 3/25 आयुध अधिनियम, थाना भाँवरकोल, जिला गाजीपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष हैं तथा उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियोजन कथानक के अनुसार वादी पक्ष एवं आवेदक/अभियुक्त से जमीनी विवाद को लेकर पुरानी रंजिश चली आ रही है। वादी एवं उसके भाईयों तथा उसके पिता द्वारा आवेदक/अभियुक्त एवं आवेदक/अभियुक्त को बुरी तरह से मारा पीटा गया, जिससे आवेदक/अभियुक्त के सिर मे गंभीर चोटे आई। पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने के उपरान्त जेल भेजा गया, लेकिन आवेदक/अभियुक्त के चोट की गंभीरता को देखते हुए जेल मे दाखिला नहीं हुआ तथा ईलाज के लिए जिला चिकित्सालय गाजीपुर भेजा गया तथा जिला चिकित्सालय द्वारा सी०टी० स्कैन के लिए ट्रामा सेन्टर बी०एच०यू० भेज दिया गया। थाना–भांवरकोल की पुलिस द्वारा आवेदक की तहरीर देने के बावजूद भी कोई रिपोर्ट नही लिखी गयी। बल्कि वादी पक्ष का धारा–126/135/170 भारतीय नागरिक संरक्षा संहिता मे चालान कर खाना पूर्ति कर दी गई। आवेदक/अभियुक्त की भूमिका न तो ललकारने की ही है और न मारने की ही है। दुश्मनी साधने के लिए आवेदक/अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमे में संलिप्त किया गया है। वादी पक्ष के किसी व्यक्ति को कोई फायर आर्म इंजरी नही है। सहअभियुक्त अनुराग राय के कब्जे मे कट्टे की बरामदगी नहीं हुई है, बल्कि वादी पक्ष द्वारा अपने पास से पुलिस को कट्टा देकर मुकदमे मे बल देने का प्रयास किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 29–05–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उक्त के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया तथा यह तर्क दिया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा को जान मारने की नीयत से फायर किया गया है। उक्त आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5– मैंने प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी, इंजरी रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त पर अपने पुत्र सहअभियुक्त अनुराग राय के साथ मिलकर वादी मुकदमा को जान मारने के आशय से कट्टे से फायर करने का आरोप लगाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के ही अवलोकन से स्पष्ट है कि कट्टे से फायर करना सहअभियुक्त अनुराग राय द्वारा किया गया है, परन्तु कट्टे से कोई फायर नहीं होना बताया गया है। इंजरी रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा अरविन्द कुमार राय को चार चोटे आना बताया गया है, चोटहिल पवन कुमार को एक चोट आना बताया गया है, चोटहिल आशुतोष राय को दो चोटे आना बताया गया है, परन्तु कोई भी चोट फायर आर्म्स की नहीं होना बताया गया है। उक्त सभी चोटे कठोर व भोथरे वस्तु से पहुँचायी गयी है। उक्त चोटे मर्म स्थल पर नहीं है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कट्टे से फायर नहीं करना बताया गया है। यद्यपि कि आवेदक/अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक इतिहास दर्शित किया गया है, परन्तु जहाँ तक आवेदक/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास का प्रश्न है, इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने विधि व्यवस्था **पवन कुमार पाण्डेय बनाम उ० प्र० राज्य 2007 (1) JIC 680 (Lucknow Bench)** में यह स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 29–05–2026 से जेल में निरूद्ध है। अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर बिना कोई मत व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

6– अतः आवेदक/अभियुक्त संजय शर्मा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को मुब० 1,00,000/– रूपये का स्व बंधपत्र एवं विधि व्यवस्था **Smt. Bacchi Devi Vs State of U.P and Another (2025 SCC Online ALL 5286)** व **Pappu Met @Pappu Vs State of U.P. & Anr. Matters Under Article 227 No. 15205 of 2025 Judgement dated 11 December 2025** में प्रतिपादित सिद्धातों के दृष्टिगत समान धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर अवमुक्त किया जाता है कि –

(क)– आवेदक/अभियुक्त इस प्रकार का अपराध दोबारा नहीं करेगा।

(ख)– आवेदक/अभियुक्त साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा अथवा मामले से सम्बन्धित साक्षीगण को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।

(ग)– जब तक कि आवेदक/अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी विचारण न्यायालय द्वारा माफ नहीं की जायेगी, वह प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

दिनांकः 12–06–2026

(धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश
गाजीपुर
JO CODE: U.P. 2002

Digitally signed by Dharmendra Kumar Pandey
Date: 2026.06.15 19:47:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court